FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0006 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 23/02/2026 17:56 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 19/02/2026 Date To (दिनांक तक): 23/02/2026

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 hrs Time To (समय तक): 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 23/02/2026 Time (समय): 16:50 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date and Time (दिनांक और समय): 23/02/2026 17:05 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-EAST, 15 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): सुगर मिल भाली आन्नदपुर रोहतक,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): रणजीत सिँह

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री राम आज्ञा प्रसाद

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1991 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):
Passport No. (पासपोर्ट सं.):

(f)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	फ्लेट न0 202 टावर F-4, सनसीटी हाईटस रोहतक, URBAN ESTATE ROHTAK, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गाँव बहोरवा, KHAMPAR, DEORIA, UTTAR PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9220218123

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	मनोज कुमार			1. मुख्य रसायन विद Chief Chemist,The Haryana Cooperative Suger,Bhali AnandpurROHTAK,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,
इन्सपैक्टर साहब,

विजीलैंस कुरुक्षेत्र,
श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं रणजीत सिंह पुत्र श्री राम आज्ञा प्रसाद वासी गांव बहोरवा, थाना खामपार, जिला देवरिया, राज्य उतरप्रदेश हाल किरायेदार फ्लैट नम्बर 202, टावर F-4, सनसिटी हाईटस रोहतक का रहने वाला हूं । हमारी एक फर्म R.A. Contractor है और इस फर्म का GSTIN. No. 09ANYPP783J1ZY है । इस फर्म का मालिक मेरे पिता जी है । हमारी फर्म को The Haryana Cooperative Suger Mills LTD., Bhali Anandpur, रोहतक का Operation Maintenance वगैरा का कार्य मिला हुआ है । मेरे पिता जी की तबीयत अक्सर खराब रहती है । इसलिए R.A. Contractor फर्म का कार्य मेरे द्वारा ही किया जाता है । लेकिन The Haryana Cooperative Suger Mills LTD., Bhali Anandpur, रोहतक में लगे मनोज कुमार, मुख्य रसायन विद (Chief Chemist) द्वारा हमारी फर्म के बिल नम्बर RAC/25-26/0077 दिनांक 03.11.2025 की पैमेन्ट रोक रखी है और मनोज कुमार उपरोक्त मुझे हमारी फर्म की Performance को ठीक ना दिखाने का तथा हमारी फर्म द्वारा तैयार की गई चीनी की गुणवत्ता को निर्धारित मानको के अनुसार सही ना दिखाने का भय दिखाता है । मनोज कुमार मुख्य रसायन विद मेरे से हमारी फर्म के बिल नम्बर RAC/25-26/0077 दिनांक 03.11.2025 की पैमेन्ट करवाने की ऐवज में तथा हमारी फर्म के द्वारा तैयार की गई चीनी की गुणवत्ता 25-26 ICUMSA दिखाने की ऐवज मे तथा हमारी फर्म की Performance अच्छी दिखाने की ऐवज में, मेरे ऊपर दबाव डालकर 2,50,000/- रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है । दिनांक 19.02.2026 को मनोज कुमार मुख्य रसायन विद द्वारा हमारी फर्म द्वारा तैयार की गई चीनी की गुणवत्ता 25-26 ICUMSA दिखाने की ऐवज मे, मेरे से रिश्वत मांगने सम्बन्धित बातचीत को, मेरे द्वारा अपने मोबाईल में रिकार्डिंग की गई है और दिनांक 22.02.2026 को भी मनोज कुमार उपरोक्त के मोबाईल नम्बर 98960-95901 से मेरे मोबाईल नम्बर 96346-45811 पर वैटसैप फोन आया था कि आप मुझे दिनांक 23.02.2026 को रिश्वत की राशि लेकर शुगर मिल के बाहर मिलो । जिस मोबाईल मे मेरे द्वारा रिकार्डिंग की गई है, मै उस मोबाईल को आपको बाद मे पेश कर दूगां । मैं मनोज कुमार मुख्य रसायन विद को रिश्वत के पैसे नहीं देना चाहता तथा मनोज कुमार उपोरक्त को 2,50,000/- रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं । मैं अपनी शिकायत के साथ 500-500/- रुपये के 500 नोट, मुबलिक 2,50,000/- रुपये आपको पेश कर रहा हूं । मनोज कुमार, मुख्य रसायन विद (Chief Chemist). The Haryana Cooperative Suger Mills LTD., Bhali Anandpur, रोहतक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये । हस्ता अग्रेजी Ranjeet 23/02/2026

प्रार्थी
रणजीत सिंह पुत्र श्री राम आज्ञा प्रसाद
वासी गांव बहोरवा, थाना खामपार,
जिला देवरिया, राज्य उतरप्रदेश।
मो.न. 92202-18123, 96346-45811

कार्यवाही पुलिसः- आज दिनांक 23.02.2026 को मन निरीक्षक मय मुलाजमान के कार्यालय राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र में मौजुद हूं । कि उच्च अधिकारीगण द्वारा टोल फ्री शिकायत नम्बर 01/ Toll Free/SVACB(H) दिनांक 23.02.2026 के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत रेड की कार्यवाही करने बारे आदेश दिये गये । जिस सम्बन्ध मे रेड की कार्यवाही के दौरान, राजपत्रित अधिकारी/ स्वतन्तत्र गवाह तथा छाया गवाह नियुक्त करने बारे उच्च अधिकारीगण को अनुरोध किया गया । जिस पर पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के कार्यालय आदेश नम्बर 560/रा.स. एवम भ्र.नि.ब्यू. (अम्बाला) दिनांक 23.02.2026 अनुसार श्री रिषी राज, वन मण्डल अधिकारी कुरुक्षेत्र को रेड की कार्यवाही के दौरान राजपत्रित अधिकारी/स्वतन्त्र गवाह के रुप में नियुक्त करने के आदेश जारी किये । मन निरीक्षक द्वारा शिकायतकर्ता रणजीत सिंह पुत्र श्री राम आज्ञा प्रसाद वासी गांव बहोरवा, थाना खामपार, जिला देवरिया, राज्य उत्तरप्रदेश के मोबाईल पर सम्पर्क करके, रेड कार्यवाही के लिए कार्यालय राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र में हाजीर आने बारे सूचित किया गया । उसके उपरान्त मन निरीक्षक द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला के आदेश नम्बर 560/रा.स. एवम भ्र.नि.ब्यू. (अम्बाला) दिनांक 23.02.2026 की पालना में श्री रिषी राज, बन मण्डल अधिकारी कुरुक्षेत्र राजपत्रित गवाह स्वतन्त्र गवाह को बजरिया टेलीफोन रेड की कार्यवाही में शामिल होने के लिए कार्यालय राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र में आने बारे सूचित किया तथा इसके कुछ समय बाद शिकायतकर्ता रणजीत सिंह उपरोक्त हाजीर कार्यालय राज्य सतर्कता एवम

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र हाजीर आया । जिसने अपनी एक टाईप शुदा शिकायत बाबत मांगने रिश्वत विरुध मनोज कुमार, मुख्य रसायन विद (Chief Chemist), The Haryana Cooperative Suger Mills LTD, Bhali Anandpur, रोहतक मय 500/500 रुपये के 500 करन्सी नोट कुल 2,50,000/- मन निरीक्षक को पेश किये । मन निरीक्षक ने शिकायत कर्ता से रैड करवाने बारे पुछताछ की और शिकायतकर्ता के द्वारा पेश किये गये मुबलिग 500/500 रुपये के 500 करन्सी नोट, कुल 2,50,000/- रुपये की अलग से फर्द सुची करन्सी नोट नम्बरी तैयार की गई । पहले से सुचित राजपत्रित गवाह श्री रिषी राज, वन मण्डल अधिकारी कुरुक्षेत्र अपने साथी कर्मचारी के साथ हाजिर कार्यालय आया । मन निरीक्षक द्वारा यह नम्बरी नोट मुताबिक फर्द सूची नोट के और मुदई रणजीत सिंह उपरोक्त को राजपत्रित गवाह श्री रिषी राज, वन मण्डल अधिकारी कुरुक्षेत्र व छाया गवाह श्री साहिल, लिपिक कार्यालय वन मण्डल अधिकारी कुरुक्षेत्र के सम्मुख पेश किया । राजपत्रित गवाह द्वारा मुदई रणजीत सिंह उपरोक्त से पुछताछ करके इन नोटो के नम्बरो का मिलान मुताबिक सुची नोट नम्बरो से करने उपरान्त यह नोट मेरे हवाले किये । मैने इन नम्बरी नोटो पर ब्रुश से फिनोल पैथालीन पाउडर लगाकर मुदई रणजीत सिंह उपरोक्त की जामा तलाशी लेकर, उपरोक्त नोट करन्सी मुदई रणजीत सिंह उपरोक्त के हवाले किये, ताकि मुदई रणजीत सिंह, मनोज कुमार, मुख्य रसायन विद (Chief Chemist), The Haryana Cooperative Suger Mills LTD, Bhali Anandpur,, रोहतक के मांगने पर रिश्वत की यही राशि उसे दे सके व नियुक्त किये गये छाया गवाह श्री साहिल, लिपिक कार्यालय वन मण्डल अधिकारी कुरुक्षेत्र को हिदायत की गई, कि वह मुदई के साथ-2 रहकर मनोज कुमार उपरोक्त व मुदई रणजीत सिंह उपरोक्त के बीच होने वाली बातचीत को सुनेगा तथा सारी कार्यवाही देखेगा और मनोज कुमार उपरोक्त द्वारा यह रिश्वत राशि मांगने उपरान्त, मनोज कुमार उपरोक्त के मुदई रणजीत सिंह उपरोक्त से रिश्वत राशि प्राप्त करने उपरान्त, रैडिग पार्टी को मुकरर शुदा ईशारा करेगा । डैमो स्ट्रेशन घोल तैयार किया गया । रैडिग पार्टी के हाथ साफ पानी में साबुन से धुलवाए गए । फर्द पर राजपत्रित गवाह व गवाहन ने अपने-2 हस्ताक्षर किए । फर्द पेशगी व जामा तलाशी मुदई तथा हवालगी करन्सी नोट तैयार की गई । दरखास्त उपरोक्त के अवलोकन से तथा मुदई रणजीत सिंह उपरोक्त के द्वारा सुनाई गई आडियो रिकार्डिंग से मनोज कुमार, मुख्य रसायन विद (Chief Chemist), The Haryana Cooperative Suger Mills LTD, Bhali Anandpur,, रोहतक के विरुध अपराध धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 व 308 (2) BNS का सरजद होना पाया गया है। दरखास्त पर तहरीर हजा लिखकर बदस्त मुख्य सिपाही सुदेश न. 258/कैथल के बरायें करवाने कायमी मुकदमा दर्ज, प्रबन्धक थाना राज्य सतकर्ता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक की सेवा में भेजा जा रहा है । कृप्या तहरीर पर अभियोग अंकित करके मिशल अभियोग, नकल मिशल मौका पर व स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट रोहतक व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाये । मन निरीक्षक मय रैडिग पार्टी मय शिकायतकर्ता रणजीत सिंह उपरोक्त व राजपत्रित गवाह, छाया गवाह को साथ लेकर बा सवारी गाडी सरकारी न. HR03GV-7947 व प्राईवेट व्हीकलो के रैडिग पार्टी तैयार करके, तफतीशी बैग व लैपटाप, प्रिन्टर को साथ लेकर अगामी कार्यवाही हेतु रवाना मौका का होती हूं ।

अज- कार्यालय राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र ।

हस्ता अग्रेंजी Nanhi Devi

निरीक्षक ,

राज्य सतर्कता भ्र.नि. ब्यूरो, उप-केंद्र कुरुक्षेत्र,

दिनांक- 23.02.2026,

10:30 AM

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0 न0 06 दिनांक 23.02.26 धारा 7 P.C Act 308(2) BNS थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्पयुटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला व इलाका मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके इलाका मैजिस्ट्रैट साहब रोहतक को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त मुख्य सिपाही सुदेश न. 258/कैथल की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई । उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक निरीक्षक राजाराम न0 531/H की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है ।

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): RAJA RAM Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 41FTB to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ~~AJAY SINGH~~ RAJARAM

Rank (पद): ~~DSP (Deputy Commissioner of~~ Insp. Police)

No. (सं.): ~~[illegible]~~ 531/H

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana — P.S. (थाना): ACB, Rohtak — Year (वर्ष): 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 — Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 20/02/2026 13:23 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Friday — Date from (दिनांक से): 20/02/2026 — Date To (दिनांक तक): 20/02/2026

Time Period (समय अवधि): Pahar 4 — Time From (समय से): 09:40 hrs — Time To (समय तक): 09:40 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): — Date (दिनांक): 20/02/2026 — Time (समय): 12:20 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): — Entry No. (प्रविष्टि सं.): 011 — Date and Time (दिनांक और समय): 20/02/2026 12:25 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, 50 Km(s) — Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): नजदीक बडवासनी मैहलाना नहर पुल, नजदीक गांव बडवासनी,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): कुलदीप

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री उमेद सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1988 — (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव कटवाल, GOHANA SADAR, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव कटवाल, GOHANA SADAR, SONIPAT, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8930002428

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुभाष			1. कापरेटीव सोसाईटी भैंसवाल, SONIPAT,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDR Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में
निरीक्षक
राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
सोनीपत
श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि मै कुलदीप पुत्र श्री उमेद सिंह गांव कटवाल जी0 सोनीपत त0 गोहाना थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत स्थाई निवासी हूँ । खेती बाडी का काम करता हूँ। मेरे पास अपनी 03 एकड जमीन है । हमारी गांव की कापरेटीव सोसाईटी गांव भैंसवाल मे है। मैने कापरेटीव सोसाईटी गांव भैंसवाल से अपना MCL कार्ड न0 2100913 बनवाया हुआ है। जिसकी लिमिट 60,000 रू0 है। मै अपने MCL कार्ड की लिमिट बढवाना चाहता हूँ। जब मै इस सम्बन्ध मे दिनांक 17.02.2026 को समय करीब 3.30 PM पर कापरेटीव सोसाईटी भैंसवाल मे सुभाष सेलस मैन से मिला तो उसने मेरे MCL कार्ड की लिमिट बढाने की एवज मे मेरे से 15,000 रू0 की रिसवत की डिमान्ड की मैने सुभास से कहा कि कुछ कम कर लो मै भी नरम आदमी हूँ। सुभाष ने कहा कि 1000 या 2000 रू0 कम देदेना मैने मजबूरी वश उससे अपने MCL कार्ड की लिमिट बढवाने की एवज मे 5000 रू0 रिसवत देने की बात कही मैने सुभाष से कहा कि मेरे MCL कार्ड की लिमिट कितनी बढ जायेगी तो सुभाष ने कहा कि डेढ लाख से उपर तक बढ जायेगी। मैने सुभास से कहा कि 5000 रू0 रिसवत भी दूंगा तो कम से कम 02 लाख की लिमिट तो करवा दे। इस पर सुभाष ने कहा कि पहले 5000,10000 हजारा रू0 देकर जायेगा तभी तो मै उपर बात कर के आप को बताऊंगा मैने मेरे और सुभास के बीच रिसवत बारे हुई बात चीत को मैने अपने निजी रिकार्डिंग डिवाईस मे रिकार्ड किया हुआ है उस भ्रष्ट सरकरी करमचारी ने मुझे आज 10,000 रू0 की रिसवत राशि लेने के लिये बुलाया है मै उस भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी को रिसवत के पैसे नही देना चाहता । मेरी सुभास से कोई रंजिस नही है और मेरा व सुभास का आपस मे पैसो का कोई लेन-देन नही है। मेरे और सरकरी कर्मचारी सुभास कापरेटीव सोसाईटी गांव भैंसवाल के बीच रिष्वत बारे हुई कुछ बात चीत को अपने निजी रिकार्डिंग डिवाईस मे रिकार्ड किया हुआ है । जिसको मै बाद मे आपको पेश कर दूंगा । अतः सरकारी कर्मचारी सुभास कापरेटीव सोसाईटी गांव भैंसवाल के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाए।

हस्ता अग्रेजी Kuldeep Singh

कुलदीप पुत्र श्री उमेद सिंह गांव कटवाल

त0 गोहाना थाना सदर गोहाना

जिला सोनीपत 8930002428

दि0 20.02.2026

कार्यवाही पुलिस – आज दिनांक 20.02.2026 को मन निरीक्षक मय साथी मुलाजमान ASI संजय कुमार न0 685/PPT, E/SI सुभाष 1118/पानीपत व EASI राकेश न0 877/SPT, EASI सन्दीप 637/SPT, EHC राजेश 1437/PPT, ASI जगवीर /RWR, के हाजिर कार्यालय रा.स. एंव भ्र0 नि0 ब्यू0 उप केन्द्र सोनीपत था कि कुलदीप पुत्र श्री उमेद सिंह गांव कटवाल त0 गोहाना जिला सोनीपत ने मोबाईल न0 8930002428 से मन नि0 को फोन किया कि किसी भ्रष्ट कर्मचारी ने मेरे से मेरा काम करने की एवेज मे रिश्वत राशि की मांग की है। मै उस भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हू। मै उस पर कार्यवाही करवाना चाहता हू। मन नि0 को शिकायतकर्ता उपरोक्त ने गांव बडवासनी के पास मिलने बारे कहा। मन नि0 मय साथी मुलाजमान के बडवासनी नहर के पास पहुचा तो कुलदीप उपरोक्त ने एक हस्त लिखित दरखास्त पेश की ओर अपने व सुभाष सैल्ज मैन को-आपरेटिव सोसाईटी बैंक भैंसवाल के बीच हुई बातचीत की रिकार्डिंग को सुनाया मन नि0 हालात बारे उच्च अधिकारीयो को अवगत करवाया गया उच्च अधिकारियों ने शीघ्र कार्यवाही करने बार कहा। जो दरखास्त के अवलोकन से एंव रिकार्डिंग के सुनने से मामला 7 PC ACT 1988 का घटित होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त EHC राजेश 1437/PPT के अभियोग अंकित के लिए थाना रा0 स0 एंव भ्र0 नि0 ब्यूरो रोहतक भेजा जा रही है, बाद करने दर्ज अभियोग नम्बर पर्चा से सुचित किया जाऐ और स्पैशल रिपोर्ट अफसरान बाला व ईलाका मजिस्ट्रेट को भेजी जाऐ। मन नि0 दवारा अलग से एक दरखास्त ई-मेल के माध्यम से उक्त कार्यवाही के पुलिस अधीक्षक र0 स0 एंव भ्र0 नि0 ब्यू0 रोहतक राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र साक्षी नियुकत करवाने के लिए भेजी गई है। बाद होने नियुक्त राजपत्रित अधिकारी/स्वतन्त्र साक्षी से सम्पर्क करके नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी आधुनिक तफतीशी बैंग साथ लिया गया हस्ता अग्रेजी INSP. Jagjeet

अजः- नजदीक गांव बडवासनी नजदीक बडवासनी मैहलाना नहर पुल

नि0 जगजीत सिंह

रा0 स0 एंव भ्र0 नि0 ब्यू0

उप केन्द्र सोनीपत

दिनॉक 20.02.2026

At 9.40 AM

अज थाना- हस्व आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 05 दिनांक 20.02.2026 धारा 7 P.C Act थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्पयुटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान वाला व इलाका मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके इलाका मैजिस्ट्रैट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा वदस्त ई-मुख्य सिपाही राजेश न0 1437/पानीपत की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक निरीक्षक राजाराम न0 531/H की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken:** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): JAGJEET SINGH Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 2141SPT to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

राजाराम /नि

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ~~VIJAY SINGH~~ RAJARAM

Rank (पद): DCP (Deputy Commissioner of Police) निरीक्षक

No. (सं.): ~~HPS~~ 531/H

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Rohtak **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 09/02/2026 15:26 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Monday **Date from (दिनांक से):** 09/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 09/02/2026

Time Period (समय अवधि): Pahar 4 **Time From (समय से):** 11:40 hrs **Time To (समय तक):** 11:40 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/02/2026 **Time (समय):** 15:10 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Date and Time (दिनांक और समय):** 09/02/2026 15:12 hrs

State Vigilance & Anti Corruption Bureau Rohtak Range Rohtak

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 40 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** नियर झरौंठी टोल खरखौदा सोनीपत,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** अनिल

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री कृष्ण

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1991 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव सिसाना, थाना खरखौदा, जिला सोनीपत, KHARKHODA, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव सिसाना, थाना खरखौदा, जिला सोनीपत, KHARKHODA, SONIPAT, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-7876760043

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्रीमति सुदेश पटवारी			1. कार्यालय ब्लाक खरखौदा,जिला सोनीपत SONIPAT,HARYANA,INDIA
2	कृष्ण कैंटीन संचालक			1. कार्यालय ब्लाक खरखौदा,जिला सोनीपत SONIPAT,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

State Vigilance & Anti Corruption Bureau Rohtak Range Rohtak

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में

निरीक्षक
राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
सोनीपत
श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि मै अनिल पुत्र श्री कृष्ण वासी गांव सिसाना थाना खरखौदा जिला सोनीपत का स्थाई निवासी हूँ । मै खेतीबाडी का कार्य करता हूँ । हमारे गांव मे 25 वर्ष पुरानी पंचायती जमीन ठोला रूपू पाना कासलान मे करीब 450 गज हमारे पास है । हरियाणा सरकार द्वारा कुछ महिने पहले घोषणा की गई थी कि हरियाणा राज्य मे स्थित पंचायती जमीन जिस पर कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से ज्यादा समय से काविज है । वह 2004 के कलैकेटर रेट के डेढ गुणा फीस भरकर अपने नाम रजिस्ट्री करवा सकता है । जिस पर जब मै हमारी गांव की ब्लाक पटवारी श्रीमति सुदेश से इस सम्बन्ध मे दिनांक 06.02.2026 को समय करीब 01 Pm पर उसके कार्यालय मे मिला तो सुदेश पटवारी ने इस सम्बन्ध मे रिपोर्ट तैयार करने की एवज मे मुझसे 25 हजार रूपये रिश्वत की मांग की और बाद मे हमारे बीच मे 20 हजार मे सौदा तय हो गया । मैने इसकी रिकार्डिंग आमने-सामने बैठकर अपने फोन मे कर ली थी । उसके बाद श्रीमति सुदेश पटवारी ने मेरे सामने ब्लाक कार्यालय खरखौदा मे चाय की कैंटीन चलाने वाले कृष्ण को 20 हजार रूपये रिश्वत देने को कहा । जब मै उसी दिन कृष्ण चाय वाले से मिला तो उसने कहा कि मै मैडम से बातचीत करके बताता हूँ । फिर कृष्ण चाय वाले ने कहा कि मेरी पटवारी मैडम से बात हो गई है । लेकिन मैडम ने कहा कि आनलाईन पैमेन्ट मत लेना । कृष्ण ने कहा कि मुझे तो इसमे से 1000 रूपये ही मिलने है । बाकि 19000 रूपये पटवारी मैडम को देने है । उस भ्रष्ट सरकरी कर्मचारी श्रीमति सुदेश ब्लाक पटवारी खरखौदा ने 20 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेने के लिये आज बुलाया है । मै उस भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी को रिश्वत के पैसे नही देना चाहता । मेरी और श्रीमति सुदेश ब्लाक पटवारी खरखौदा की इससे पहले आपस मे ना तो कोई जानकारी है और नाहि हमारे बीच आज तक मेरे से मांगी गई रिश्वत राशि के अलावा पैसो का कोई लेन-देन नही हुआ है । मेरे और सरकरी कर्मचारी श्रीमति सुदेश ब्लाक पटवारी खरखौदा के बीच रिश्वत बारे हुई कुछ बातचीत को मैने अपने फोन One Nord CE3 मे रिकार्डिंग की हुई है । जिसको मै बाद मे आपको पेश कर दूंगा । अतः सरकरी कर्मचारी श्रीमति सुदेश पटवारी खरखौदा व उसके मध्यस्ता करने वाले कृष्ण कैंटीन संचालक कार्यालय ब्लाक खरखौदा दोनो के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जाए । हस्ता अंग्रेजी Anil

अनिल पुत्र श्री कृष्ण, वासी गांव सिसाना
थाना खरखौदा, जिला सोनीपत
Ph-7876760043
दिनांक 09.02.2026

State Vigilance & Anti Corruption Bureau
Rohtak Range Rohtak

कार्यावाही पुलिसः- आज मन निरिक्षक मय अपने सहयोगी स्टाफ ASI कपिल न0 12/JJR, LASI रेनू 1581/सोनीपत, EASI राकेश 877/SPT, EASI सन्दीप 637/SPT व E/SI सुभाष न0 1118/PPT मय प्राईवेट /सरकारी गाडी के हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप-केन्द्र सोनीपत मौजूद हूँ , कि अनिल S/O श्री कृष्ण वासी गांव सिसाना थाना खरखौदा जिला सोनीपत ने हाजीर आकर मेरे सम्मुख दरखास्त पेश की और अपने व आरोपिया श्रीमति सुदेश ब्लाक पटवारी खरखौदा के बीच रिश्वत लेन-देन बारे हुई बातचीत की रिकार्डिंग को अपने फोन में सुनाया है । मन निरीक्षक द्वारा उक्त सुचना बारे उच्च अधिकारियो को अवगत करवाया गया जिन्होने शीघ्र कानूनी कार्यवाही करने बारे कहा । जो दरखास्त एंव रिकार्डिंग के मजबुन से सरेदस्त सुरत जुर्म 7/7A PC ACT व का घटित होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सिपाही कपिल 185/सोनीपत के थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक भेजी जा रही है, बाद करने दर्ज मुकदमा नम्बर पर्चा से सुचित किया जाऐ स्पैशल रिपोर्ट अफसरान बाला व ईलाका मजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाऐ । मेरे द्वारा एक दरखास्त बराये नियुक्त करवाने राजपत्रित अधिकारी/स्वतन्त्र गवाह पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक को भेजी जा रही है । बाद होने नियुक्त राजपत्रित अधिकारी स्वतन्त्र अधिकारी गवाह से सम्पर्क करके नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी । हस्ता अंग्रेजी Jagjeet insp

अजः- नियर झरौंठी टोल खरखौदा सोनीपत रोड
जगजीत सिंह (निरीक्षक)
राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

रोहतक मण्डल रोहतक
दिनॉक 09.02.2026
AT.11.40 AM
अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0 न0 03 दिनांक 09.02.26 धारा 7,7A P.C Act थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्पयुटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान वाला व इलाका मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके इलाका मैजिस्ट्रैट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त सिपाही कपील न0 185/सोनीपत की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई । उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक निरीक्षक राजाराम न0 531/H की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** JAGJEET SINGH **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 2141SPT **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

State Vigilance & Anti Corruption Bureau Rohtak Range Rohtak

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Raja Ram

Rank (पद): Inspector

No. (सं.):531/H

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.